



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 2 नवम्बर, 2023

अग्रहायण 11, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-2

संख्या 1822/6-पु०-2-2023-1100(60)-2021

लखनऊ, 2 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

सा०प०नि०-46

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2005) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2009 (अधिसूचना संख्या 1462/छः-पु०-2-08-700(131)-07, दिनांक 31 जुलाई, 2009) का, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करके, जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया हो या किये जाने हेतु लोपित किया गया हो राज्यपाल प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों का संचालन विनियमित करने और अनुज्ञप्ति की प्रक्रिया तथा तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,— परिभाषाएं

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2005) से है;

(ख) "अभिकरण" का तात्पर्य प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण से है;

(ग) "नियंत्रक प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में उसके लिए समनुदेशित है;

(घ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है;

(ङ) "अनुज्ञप्ति" का तात्पर्य अधिनियम के अधीन स्वीकृत अनुज्ञप्ति से है।

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

अनुज्ञप्ति स्वीकृत  
किये जाने हेतु  
आवेदन

3-(1) अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु नियंत्रक प्राधिकारी को प्रपत्र-एक में आवेदन करते समय प्रत्येक अभिकरण को अपने पूर्ववृत्त के सत्यापनार्थ प्रपत्र-दो भी संलग्न करना होगा।

(2) यदि आवेदक कोई कम्पनी, कर्म या व्यक्तियों का संगम हो तो प्रपत्र-एक में आवेदन के साथ कम्पनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक हेतु प्रपत्र-दो संलग्न किया जायेगा, मानों वे भी आवेदक हों। इसके अतिरिक्त उसे अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों से सम्बन्धित व्यौरों को सम्मिलित करते हुए प्रपत्र-तीन में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी को प्रपत्र-एक, प्रपत्र-दो, प्रपत्र-तीन प्राप्त किये जाने पर आवेदन की विषयवस्तु और आवेदक की विशिष्टियों का सत्यापन करने के लिए ऐसी जाँच, जो वह आवश्यक समझे, करनी होगी।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदक के पूर्ववृत्त का सत्यापन करने के प्रयोजनार्थ अपराध और अपराधियों के इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस यथा अपराध और दाण्डिक ट्रैकिंग प्रणाली और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर-संचालन दाण्डिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) का उपयोग करना होगा। तथापि विशेष परिस्थितियों में जहाँ अपराध और अपराधियों के इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस यथा अपराध और दाण्डिक ट्रैकिंग प्रणाली और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर-संचालन दाण्डिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) कार्य न कर रहे हों वहाँ नियंत्रक प्राधिकारी प्रपत्र-तीन की विषयवस्तु और आवेदक की विशिष्टियों का सत्यापन करने के लिये ऐसी जाँच, जो आवश्यक समझे, करा सकता है।

(5) जब कभी किसी आवेदक के पूर्ववृत्त, पहले ही किसी अन्य राज्य में सत्यापित कर लिये गये हों और अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर दिया गया हो तब नियंत्रक प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह नए सिरे से पूर्ववृत्तों का सत्यापन करे परंतु यह कि अनुज्ञप्ति जिसके लिए पूर्ववृत्त सत्यापित किये गये हों, वैधता अवधि के अन्तर्गत हो। नियंत्रक प्राधिकारी सम्बन्धित अन्य राज्य से सत्यापन प्रपत्र आदि मंगा सकता है जिससे कि वह राज्य इलेक्ट्रॉनिक अपराध और अपराधी डाटाबेस के अन्तर्गत मूल निवास के जिला से आवेदक के पूर्ववृत्त की जाँच कर सके। इस प्रयोजनार्थ अपराध और दाण्डिक ट्रैकिंग प्रणाली और तंत्र (सीसीटीएनएस) और अंतर-संचालनीय दाण्डिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) का उपयोग किया जा सकता है।

(6) जहाँ आवेदन किया जा रहा हो वहाँ सम्बन्धित राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी को संदेय अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन यथा विहित फीस संदाय को दर्शाते हुए डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रपत्र-एक के साथ संलग्न किया जायेगा।

(7) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, नियंत्रक प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से परिदत्त किया जाएगा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों यथा ई-मेल, फैक्स इत्यादि से उसे प्रेषित किया जाएगा।

(8) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त किये जाने पद नियंत्रक प्राधिकारी आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक को उस पर टिप्पणी लिखने के पश्चात् आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिस्वीकृति प्रदान करेगा।

(9) नियंत्रक प्राधिकारी, प्रपत्र-एक में आवेदन प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे और अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात् प्रपत्र-चार में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा :

परन्तु यह कि यदि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण ने पहले ही किसी अन्य राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लिया हो तब अनुज्ञप्तिधारी का प्रशिक्षण आवश्यक रूप में अपेक्षित नहीं होगा।

(10) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से अभिकरण द्वारा दिए गए पते या पतों पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के परिसर को सत्यापित करेगा।

(11) नियंत्रक प्राधिकारी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन में यथा उल्लिखित सम्बन्धित राज्य में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के प्रधान कार्यालय को जारी करने के पन्द्रह दिनों के भीतर डाक द्वारा प्रदान किये जाने वाले अनुज्ञप्ति की भौतिक प्रति तैयार करेगा जिसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने कारबार के स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए बाध्य होगा।

(12) अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में कोई अस्वीकृति आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि :-

(क) आवेदक को सुने जाने का युक्ति-युक्त अवसर न दिया गया हो;

(ख) आधार, जिन पर अनुज्ञप्ति अस्वीकृत किया गया हो, आदेश में उल्लिखित न कर दिये जायें।

(13) नियंत्रक प्राधिकारी समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् पूर्वोक्त क्रम के अनुसार प्रपत्र-एक प्राप्त किये जोन के दिनांक से साठ दिवस के भीतर प्रपत्र-एक में आदेश पारित करेगा।

4-(1) अनुज्ञप्तिधारी, को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विहित समय-सीमा के भीतर यथा विहित प्राइवेट सुरक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करना होगा।

अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने की शर्तें

(2) नियंत्रक प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्य विवरण सृजित करना होगा।

(3) प्रशिक्षण, न्यूनतम छः कार्य दिवस का होगा और इसमें व्यापक रूप में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

(क) वर्तमान सुरक्षा रूपरेखा,-

(एक) वीआईपी सुरक्षा

(दो) आंतरिक सुरक्षा

(तीन) संस्थागत सुरक्षा

(ख) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों की भूमिका और उसकी कार्यप्रणाली,-

(एक) अग्नि शमन

(दो) आपदा/आपातकालीन प्रबंधन प्रोटोकॉल

(तीन) सुरक्षा कर्तव्य

(चार) विभिन्न दस्तावेजों की जाँच

(पाँच) सूचना सुरक्षा

(छः) अभिगम नियंत्रण



- (सात) विस्फोटक आईईडीएस
- (आठ) एंटी सबोटेज चेक (एएससी)
- (नौ) सुरक्षा सम्बन्धी उपस्कर
- (दस) संसूचना उपस्कर
- (ग्यारह) पेट्रोलिंग
- (बारह) चौकी ड्यूटी

(ग) विधिक उपबन्ध,—

(एक) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2005) और उससे सम्बन्धित राज्य नियम

(दो) सुसंगत श्रमिक विधियाँ

(घ) सुरक्षा अभिकरणों का प्रबन्धन,—

(एक) वर्दी

(दो) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के कार्मिकों का प्रशिक्षण

(तीन) दस्तावेजीकरण तथा अभिलेखीकरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुरक्षित किया जायेगा

(चार) डाटा साझाकरण प्रोटोकॉल

(ङ) जनसाधारण, पुलिस और अन्य विभागों के साथ इंटरफेस,—

(एक) जनसाधारण के साथ इंटरफेस

(दो) पुलिस और अन्य सम्बन्धित सरकारी विभागों के साथ सम्पर्क

(च) प्राइवेट सुरक्षा कार्मिक—क्या करना है और क्या नहीं करना है (आचरण नियम)

(4) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति प्राप्त किये जाने के पंद्रह दिनों के भीतर अभिकरण सृजित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता और प्रधान वृत्ति को संसूचित करेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी, अभिकरण सृजित करने वाले व्यक्तियों के पते में परिवर्तन या प्रबन्धन में परिवर्तन के सम्बन्ध में, ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर नियंत्रक प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के रूप में कर्तव्यों को निर्वहन करने के प्रक्रम में, अभिकरण सृजित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध या अभिकरण द्वारा अभिनियोजित या नियोजित प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट या विरचित किये गये आपराधिक आरोप के सम्बन्ध में तत्काल सूचित करेगा। ऐसी संसूचना की एक प्रति, उस थाने के प्रभारी अधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी जहाँ व्यक्ति जिसके विरुद्ध आरोप लगाया गया हो, निवास करता हो।

(7) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी इस नियमावली में अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने की शर्तों के रूप में यथा विहित प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के शारीरिक मानकों और उनके प्रशिक्षण की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।

(8) इस नियमावली में यथा उपबन्धित के सिवाय, अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी।

(9) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के छः माह के भीतर अपना क्रिया-कलाप प्रारम्भ करेगा।

(10) क्रिया-कलापों को प्रारम्भ किए जाने में, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन यथा उपबन्धित और नियम 10 के अनुसार कार्यालय परिसर की स्थापना किया जाना और पर्यवेक्षकों की अभिनियोजित किया जाना सम्मिलित होगा।



5-(1) प्रत्येक अभिकरण, नियंत्रक प्राधिकारी को प्रपत्र-दो और प्रपत्र-तीन के साथ प्रपत्र-एक में अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि समाप्त होने के दिनांक से अन्तून पैंतालीस दिन पूर्व और अधिनियम की धारा 8 की अन्य शर्तों का अनुपालन करने के पश्चात् अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।

अनुज्ञप्ति  
नवीकरण

(2) यदि आवेदक कोई कम्पनी, कोई फर्म या कोई व्यक्ति संगम हो तो प्रपत्र-एक में आवेदन के साथ कम्पनी के प्रत्येक स्वत्तधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक हेतु प्रपत्र-दो संलग्न किया जायेगा।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी, आवेदक के पूर्ववृत्त का उसी रीति से जैसा कि नियम 3 के उपनियम (4) में उल्लिखित हो, सत्यापन करेगा।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी प्रपत्र-एक में आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे और अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात् प्रपत्र-4 में अनुज्ञप्ति नवीकरण प्रदान करेगा।

(5) उपनियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति नवीकरण आवेदन प्राप्त न किये जाने की स्थिति में, अनुज्ञप्ति समाप्त होने के पश्चात् अभिकरण को गैर अनुज्ञप्ति प्राप्त अभिकरण के रूप में माना जाएगा।

(6) अनुज्ञप्ति नवीकरण आवेदन करने की अवधि समाप्त होने के पश्चात् अभिकरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नये सिरे से लाइसेन्स के लिए आवेदन कर सकता है।

(7) अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए प्रभार्य फीस वही होगी, जैसा कि नियम 3 के उपनियम (6) में उल्लिखित अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु फीस है।

(8) उपनियम (1) में उपदर्शित अवधि के पश्चात् और अनुज्ञप्ति के अवसान होने से पूर्व प्राप्त किए गए आवेदन पर अनुज्ञप्ति नवीकरण को प्रक्रियागत नहीं किया जायेगा।

(9) नियंत्रक प्राधिकारी, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्रपत्र-एक में अनुज्ञप्ति नवीकरण आवेदन पर आदेश पारित करेगा।

(10) नवीकृत अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की गणना पूर्व अनुज्ञप्ति समाप्त होने के दिनांक से की जाएगी और उसके नवीकरण के दिनांक पर ध्यान दिये बिना पाँच वर्ष तक के लिये होगी। विद्यमान अनुज्ञप्ति समाप्त होने के पश्चात् नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा आवेदन का विनिश्चय किए जाने की दशा में मध्यवर्ती अवधि विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अधीन समझी जाएगी।

(11) नियंत्रक प्राधिकारी और प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, मानव नियंत्रक से परे की परिस्थितियों, जिनमें सिविल या सैन्य प्राधिकारी के कृत्य, राष्ट्रीय आपात, दंगा एवं दैवीकृत्य सम्मिलित हैं, किन्तु वे वहीं तक सीमित न हों, के कारण होने वाले विलम्ब के लिए दायी नहीं होंगे।

6-अनुज्ञप्ति नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :-

अनुज्ञप्ति नवीकरण  
की शर्तें

(क) आवेदक, नियंत्रक प्राधिकारी की अधिकारिता में अपने प्रधान कारबार स्थल को अनुरक्षित रखना जारी रखेगा;

(ख) आवेदक इस नियमावली के नियम 8 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना जारी रखेगा;

(ग) आवेदक, अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करना जारी रखेगा;

(घ) आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त न हो (जो अपराध और आपराधिक डाटा से सत्यापित किया जा सकता है)।

प्राइवेट सुरक्षा गार्ड  
और पर्यवेक्षक के  
चरित्र और पूर्ववृत्त  
का सत्यापन

7-(1) अभिकरण, किसी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या अभिनियोजित करने से पूर्व स्वयं को निम्नलिखित किसी एक या अधिक रीति से ऐसे व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्तियों के सम्बन्ध में स्वयं समाधान करेगा, अर्थात् :-

(क) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाणपत्र पर निर्भर होकर :

परन्तु यह कि चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र विधिमान्य रहेगा और अभिकरण के पास किसी अन्य स्रोत से व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो;

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी या पुलिस के माध्यम से चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग प्रणाली और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर-संचालनीय दाण्डिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) जैसे अपराध तथा आपराधिक डेटाबेस के अभिगम द्वारा।

(2) सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या अभिनियोजित होने के इच्छुक व्यक्ति को रखता है अभिकरण को प्रपत्र-पाँच प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, उसे अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबन्धों से सम्बन्धित ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए प्रपत्र-छ: में एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) राज्य सरकार चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा की जाने वाली फीस प्रतिग्रहण करने की व्यवस्था करेगी।

(4) प्राधिकरण, जिसे आवेदन किया जाय, को यह सुनिश्चित करना होगा कि चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट, चरित्र और पूर्ववृत्त प्रपत्र प्राप्त किये जाने के पंद्रह दिनों के भीतर जारी की जाय।

(5) एक बार जारी की गई चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट, नियोजक की प्रास्थिति में परिवर्तन हो जाने पर ध्यान दिये बिना पाँच वर्ष तक के लिए विधिमान्य रहेगी।

(6) अभिकरण, चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के आधार पर प्रपत्र-सात में चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र जारी करेगा और यह प्रमाणपत्र ऐसे अभिकरण द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा भले ही उक्त व्यक्ति अभिकरण का कर्मचारी न हो।

सुरक्षा प्रशिक्षण

8-(1) नियंत्रक प्राधिकारी, राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा के अनुसार, सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा। प्रारम्भिक स्तर के लिए यह प्रशिक्षण न्यूनतम सौ घंटों की अवधि का कक्षा शिक्षण और साथ घंटों का फील्ड प्रशिक्षण होगा जो बढ़कर न्यूनतम बीस कार्य दिवस तक हो सकता है। भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिस कार्मिकों से न्यूनतम पैंतालीस घंटों के कक्षा शिक्षण और साठ घंटों के फील्ड प्रशिक्षण, जो बढ़कर न्यूनतम साठ कार्य दिवस तक हो सकता है, से सम्बन्धित किसी संघनित पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ, नियंत्रक प्राधिकारी उन प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त और विनिर्देश जारी कर सकता है तथा उनका अनुपालन किये जाने हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी कर सकता है।

→ (3) मार्गदर्शी सिद्धान्तों/विनिर्देशों एवं मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नियंत्रक प्राधिकारी, जब चाहे पुलिस उपाधीक्षक व उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा ऐसे प्रशिक्षण संस्थान का सुरक्षा सम्बन्धी लेखा परीक्षा हेतु आदेश प्रदान कर सकता है।

(4) प्रशिक्षण संस्था या संगठन नियंत्रक प्राधिकारी को निम्नलिखित विशिष्टियाँ प्रस्तुत करेगा :-

- (क) संस्था का नाम और पता;
- (ख) प्रशिक्षु गार्ड के विवरण;
- (ग) प्रशिक्षण की अवधि;
- (घ) प्रशिक्षु द्वारा प्राप्त अंक और पठित पाठ्यक्रम;
- (ङ) प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने के पश्चात् प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम;
- (च) प्रशिक्षण संस्थान में उपलब्ध प्रशिक्षकगण की सूची।

(5) प्रशिक्षण में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

- (क) जनता में आचरण और वर्दी को सही ढंग से धारण करना;
- (ख) शारीरिक स्वस्थता प्रशिक्षण;
- (ग) शारीरिक सुरक्षा, सम्पत्ति की सुरक्षा, भवन/अपार्टमेंट की सुरक्षा, कार्मिक सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा;
- (घ) अग्नि शमन;
- (ङ) भीड़ नियंत्रण;
- (च) पहचान-पत्र, पासपोर्ट तथा स्मार्ट कार्ड सहित पहचान कागजातों का परीक्षण;
- (छ) अभ्यर्थी को अंग्रेजी वर्णमाला तथा अरबी अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने योग्य होना चाहिए, जैसा कि सामान्यतः पहचान दस्तावेजों, शस्त्र अनुज्ञप्तियों, यात्रा दस्तावेजों और सुरक्षा निरीक्षण पत्रक में आते हैं;
- (ज) छुपी हुई विस्फोटक वस्तुओं की पहचान;
- (झ) प्राथमिक चिकित्सा;
- (ञ) संकट से निपटना और आपदा प्रबंधन;
- (ट) रक्षात्मक ड्राइविंग (सशस्त्र यान के ड्राइवर के लिए अनिवार्य तथा दूसरों के लिए वैकल्पिक);
- (ठ) अप्रतिषिद्ध आयुधों तथा अग्नेयास्त्रों को उठाना-रखना और संचालित करना (वैकल्पिक);
- (ड) भारतीय दण्ड संहिता का प्रारम्भिक ज्ञान, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया, आयुध अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएं), विस्फोटक अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएं);
- (ढ) पुलिस तथा सैन्य बलों के रैंक के बैज;
- (ण) जनता और पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न शस्त्रों की पहचान;
- (त) सुरक्षा उपकरणों और युक्तियों का उपयोग (उदाहरण के लिए सुरक्षा अलार्म और स्क्रीनिंग उपकरण); और
- (थ) नेतृत्व और प्रबन्धन (केवल पर्यवेक्षकों के लिए)।

(6) सुरक्षा गार्ड को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

(7) प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रपत्र-आठ में एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।

(8) एक राज्य में प्रशिक्षण संस्थानों से गार्डों/पर्यवेक्षकों हेतु जारी किये गये प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अन्य राज्य में भी स्वीकार किये जायेंगे।



(9) नियंत्रक प्राधिकारी समय-समय पर स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से प्रशिक्षण सुविधा कार्य प्रणाली का निरीक्षण करेगा। सामान्यतः ऐसा निरीक्षण प्रति वर्ष कम से कम दो बार किया जाएगा।

(10) समस्त प्रशिक्षण अभिकरण नियंत्रक प्राधिकारी को उसके द्वारा विहित की गई रीति से सफल प्रशिक्षणार्थियों की सूची प्रस्तुत करेंगे।

(11) प्रशिक्षण पूर्ण होने और रोजगार की अपेक्षा के आधार पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण स्वयं को पदाभिहित कर सकते हैं परन्तु यह कि कोई अभिकरण, सशस्त्र बलों, अर्द्ध सैनिक बलों या राज्य पुलिस बलों के किसी रैंक को अंगीकृत नहीं करेगा।

(12) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी प्राइवेट प्रशिक्षण अभिकरण के प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण और कौशल को सत्यापित कर सकता है।

(13) नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे सुरक्षा अभिकरणों की अनुज्ञप्ति जारी रखने या अन्यथा रूप में रखने हेतु समीक्षा कर सकता है जिन्होंने अपनी नामावली में प्रशिक्षित कार्मिकों की शर्तों का अनुपालन न किया हो।

सुरक्षा गार्डों के लिए शारीरिक स्वस्थता का मानदण्ड

9-(1) कोई व्यक्ति, सुरक्षा गार्ड के रूप में अभिनियोजित या नियोजित किये जाने के लिए अर्ह होगा, यदि वह नीचे यथा विनिर्दिष्ट शारीरिक स्वस्थता के मानकों को पूरा करता है :-

(क) ऊँचाई पुरुषों के लिए 160 से0मी0 तथा महिलाओं के लिये 150 से0मी0, वजन : ऊँचाई-वजन की मानक सारणी के अनुसार, सीना 80 सी0मी0 जो 04 से0मी0 फूलना चाहिए (महिलाओं के लिए सीना माप की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है);

(ख) नेत्र दृष्टि-दूर दृष्टि 6/6, निकट दृष्टि 0.6/0.6 चश्में अथवा इसके बिना, वर्णांधता से मुक्त, सुरक्षा उपकरणों के प्रदर्श में रंगों को विभेद और पहचान करने और अंग्रेजी वर्णमाला तथा प्रदर्श में अरबी के अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने के योग्य होना चाहिए;

(ग) संहतजानुक और चिपटा पैर से मुक्त और छः मिनट में एक किलोमीटर तक दौड़ने योग्य होना चाहिये;

(घ) श्रवण : दोष से मुक्त हो ; सुनने और बोलने की आवाज का उत्तर देने तथा सुरक्षा उपकरणों द्वारा उत्पन्न अलार्म पर प्रतिक्रिया करने योग्य हो;

(ङ) अभ्यर्थी तलाशी लेने, वस्तुओं को हाथ में लेने और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को रोकने के लिए बल प्रयोग करने के लिए कुशल और समर्थ हो।

(2) अभ्यर्थी किसी छुआ-छूत की या संक्रामक बीमारी अथवा उसके लक्षण से मुक्त हो। वह ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त न हो जिसका उसकी सेवा के दौरान बढ़ने की आशंका हो या जिससे वह सेवा के लिए अनुपयुक्त हो जाए या जिससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाए।

(3) अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास कार्यरत प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की किसी स्वास्थ्य परीक्षण के प्रत्येक 12 माह पश्चात् उसका अंतिम ऐसा स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया जाय ताकि उसके प्रवेश के समय निर्धारित शारीरिक मानदंड का सतत अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

पर्यवेक्षकों के लिए उपबन्ध

10-(1) अनधिक पंद्रह प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के कार्य का पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक होगा।

(2) यदि प्राइवेट सुरक्षा गार्ड विभिन्न परिसरों में सुरक्षा ड्यूटी पर हों, और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करना एक पर्यवेक्षक हेतु व्यवहार्य न हो तो अभिकरण अधिक संख्या में पर्यवेक्षकों को प्रतिनियुक्त करेगा ताकि कम से कम प्रत्येक छः प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के लिए एक पर्यवेक्षक सहायता, सलाह और पर्यवेक्षण के लिए उपलब्ध हो।

11-अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील प्रपत्र-9 में की जाएगी और उस पर व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा तथा उसे अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश को व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्ट्रीकृत डाक से प्रेषित किया जाएगा।

अपील और प्रक्रिया

12-अधिनियम के अधीन अभिकरण द्वारा अनुरक्षित किये जाने हेतु अपेक्षित रजिस्ट्रारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रपत्र-दस में अनुरक्षित किया जाएगा। नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नियत दिनांक तथा समय पर उसके समक्ष इसे प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकरण दायी होगा।

अभिकरण द्वारा अनुरक्षित किया जाने वाला रजिस्ट्रार

13-(1) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन अभिकरण द्वारा जारी प्रत्येक फोटो पहचान-पत्र प्रपत्र-ग्यारह में होगा।

फोटो पहचान पत्र

(2) फोटो पहचान-पत्र में पूरा चेहरे का रंगीन फोटो, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड का पूरा नाम, अभिकरण का नाम तथा उस व्यक्ति की कर्मचारी संख्या होगी, जिसे फोटो पहचान-पत्र जारी किया गया हो।

(3) फोटो पहचान-पत्र में व्यक्ति की अभिकरण में प्रास्थिति और वह दिनांक जिस तक फोटो पहचान-पत्र विधिमान्य हो, स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जायेगी।

(4) फोटो पहचान-पत्र को अद्यतन रखा जाएगा और विशिष्टियों में किसी परिवर्तन को उसमें प्रविष्ट किया जाएगा।

(5) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को जारी फोटो पहचान-पत्र को उसे जारीकर्ता अभिकरण को तब वापस कर दिया जाएगा जब प्राइवेट सुरक्षा गार्ड आगे नियोजन में नहीं रहता है या उसके द्वारा नियोजित नहीं किया जाता है।

(6) फोटो पहचान-पत्र के गुम हो जाने या चोरी हो जाने को उस अभिकरण की जानकारी में तुरंत लाया जाएगा, जिसने उसे जारी किया हो।

14-(1) इस बात के होते हुए भी अभिकरण अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के लिए इयूटी पर यूनिफार्म पहनना अनिवार्य करता है, या नहीं करता है, प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को अपने सुरक्षा गार्डों के लिए निम्नलिखित को जारी करेगा और उन्हें धारण करने के लिए अनिवार्य करेगा :-

अन्य शर्तें

- (क) अभिकरण को सुभिन्न करने वाला बाजू पर पहनने वाला बैज ;
- (ख) संगठन में उसका पद दर्शाने वाला कंधे या वक्ष का बैज ;
- (ग) सीटी की डोरी से बंधी सीटी, जो बाँयी जेब में रखी जाएगी ;
- (घ) फीते और सूराख सहित जूते ;
- (ङ) सिर पर पहनने की टोपी जिस पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का सुभेदक चिन्ह भी हो सकता है ;

(2) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, जब वह इयूटी पर हो, द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र ऐसे होंगे जो उसकी दक्षतापूर्ण कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न न करें। विशेषकर, वे न तो बहुत तंग हों और न ही बहुत ढीले हों, जिससे उसकी गतिविधियों या अंगों को मोड़ने में बाधा हो।

(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड अपने साथ एक नोट-बुक और एक लेखन उपकरण रखेगा।

(4) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, जब वह सक्रिय सुरक्षा इयूटी पर हो, अधिनियम की धारा 17 के अधीन जारी फोटो पहचान-पत्र, अपने शरीर पर किसी सहज दृश्य स्थान पर कमर से ऊपर बाहरी वस्त्र पर प्रदर्शित करते हुए धारण करेगा।

आज्ञा से,  
संजय प्रसाद,  
प्रमुख सचिव।

## प्रपत्र-एक

(नियम 3, नियम 5 देखिए)

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने/अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए आवेदन

सेवा में,

नियंत्रक प्राधिकारी,

अद्योहस्ताक्षरी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के क्षेत्र में सेवा करने का कारबार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करता है -

- 1-आवेदक का पूरा नाम :
- 2-आवेदक की राष्ट्रीयता :
- 3-पुत्र/पत्नी/पुत्री :
- 4-निवास स्थान का पता :
- 5-पता, जहां आवेदक अपना अभिकरण आरंभ करने की वांछा करता है :
- 6-प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम :
- 7-प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के अतिरिक्त ब्यौरे (यदि लागू हों) :

(क) सीआईएन नंबर :

(ख) ईएसआई नंबर :

(ग) ईपीएफ नंबर :

(घ) श्रम अनुज्ञप्ति नंबर :

(ङ) श्रम रजिस्ट्रीकरण नंबर :

(च) जीएसटी नंबर :

(छ) कोई अन्य सूचना :

(ज) क्या अभिकरण के पास एफडीआई है (हां/नहीं) : .....

यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें :

(i) एफडीआई का देश : .....

(ii) विदेशी शेयरधारक का नाम : .....

(iii) विदेशी शेयरधारक का पता : .....

(iv) विनिधान का वर्ष : .....

(v) शेयरों की संख्या : .....

(vi) विदेशी शेयर धारण की प्रतिशतता : .....

(vii) एफडीआई के अनुमोदन के ब्यौरे : .....

(कृपया एफडीआई अनुमोदन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें)

8-अभिकरण के स्वत्वधारी, भागीदार, बहुसंख्यक शेयर धारक, निदेशक और अध्यक्ष का नाम और पता :

| क्रम-<br>संख्या | प्रबंधन किस्म (स्वत्वधारी, भागीदार, बहुसंख्यक शेयर धारक, निदेशक और अध्यक्ष) | नाम | पता | डीआईएन<br>नंबर<br>(यदि हो) | नंबर सहित<br>पहचान का सबूत |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------|----------------------------|
|                 |                                                                             |     |     |                            |                            |



9-उपलब्ध सुविधाओं का नाम और विस्तार :

10-(क) क्या आवेदन के पास स्वयं की प्रशिक्षण सुविधा है या वह इसे आउटसोर्सिंग आधार पर लेगा ? .....

(ख) यदि आवेदक के पास स्वयं की प्रशिक्षण सुविधा है तो कृपया निम्नलिखित सूचना दें :

प्रशिक्षण अभिकरण का नाम :

प्रशिक्षण अभिकरण का पता :

प्रशिक्षण अभिकरण की मान्यता के ब्यौरे : .....

11-सुरक्षा सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले उपस्कर -

(क) डोर फ्रेम्ड मेटल डिक्टेक्टर (डीएफएमडी)

(ख) हैंड हेल्ड मेटल डिक्टेक्टर (एचएचएमडी)

(ग) माइन डिक्टेक्टर

(घ) अन्य उपस्कर -

(i) बेतार दूरभाष

(ii) अलार्म युक्तियां

(iii) बख्तरबंद वाहन

(iv) आयुद्ध

12-वर्दी की विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत उसका रंग भी है (कृपया वर्दियों का रंगीन फोटो संबद्ध करें) :

13-क्या आवेदक एक से अधिक जिलों में प्रचालन करने की वांछा रखता है ? यदि हां तो जिलों का नाम 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....

14-क्या आवेदक संपूर्ण राज्य में प्रचालन की वांछा रखता है ? हां/नहीं

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

आवेदक का पता

आवेदक का दूरभाष नंबर

आवेदन की तारीख

संलग्नक :

1-अभिकरण के परिसर का फोटो।

2-सभी प्रबंधकीय कार्मिकों की पहचान का सबूत।

3-प्रशिक्षण अभिकरण की मान्यता के ब्यौरे (यदि लागू हों)।

4-वर्दियों का रंगीन फोटो।

5-ऊपर पैरा 7 में दिए गए अभिकरण ब्यौरों के अधीन दस्तावेज (यदि लागू हों)।

6-वर्तमान आय-कर निकासी प्रमाण-पत्र की प्रति।

7-अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन यथाविहित शपथ-पत्र।

8-अन्य संलग्नक।

## प्रपत्र-दो

(नियम 3 और 5 देखिए)

## आवेदक के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्रपत्र

टिप्पण :- यदि आवेदक कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई व्यक्तियों का संगम है तो यह प्रपत्र कंपनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक, जैसे कि वे भी आवेदक है, द्वारा भरा जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

| केवल कार्यालय के उपयोग हेतु |                              |       |
|-----------------------------|------------------------------|-------|
| प्रपत्र संख्या              | पूर्ववृत्त सत्यापन जारीकर्ता | तारीख |
|                             |                              |       |

फीस की धनराशि रु0 \_\_\_\_\_ नगद/मांगदेय ड्राफ्ट \_\_\_\_\_ बैंक का नाम \_\_\_\_\_

मांगदेय ड्राफ्ट सं0 \_\_\_\_\_ जारी करने की तारीख \_\_\_\_\_

कृपया स्पष्ट अक्षरों में भरें : (सावधान : कृपया सही सूचना प्रस्तुत करें। प्रपत्र में गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छिपाने से उम्मीदवार अनुज्ञप्ति की अनुदत्त के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है।)

1-आवेदक का (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)

अंतिम नाम \_\_\_\_\_ प्रथम नाम \_\_\_\_\_

2-यदि आपने अपने नाम में कभी कोई परिवर्तन किया है तो कृपया पिछले पूरे नाम (नामों) का उल्लेख करें \_\_\_\_\_

3-लिंग (पुरुष/महिला) \_\_\_\_\_

4-जन्म तिथि : \_\_\_\_\_

5-आधार संख्या \_\_\_\_\_

6-पैन संख्या \_\_\_\_\_

7-जन्म का स्थान-गांव/कस्बा \_\_\_\_\_

जिला \_\_\_\_\_ राज्य और देश \_\_\_\_\_

8-पिता का पूरा नाम/विधिक संरक्षक का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है) \_\_\_\_\_

9-माता का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो तो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है) \_\_\_\_\_

10-यदि विवाहित है तो पति/पत्नी का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो तो) (आद्याक्षर नहीं है) \_\_\_\_\_

11-वर्तमान आवासीय पता, गली/सड़क सं0 पुलिस थाना, ग्राम तथा जिला सहित (पिन कोड संख्या भी दें) \_\_\_\_\_

दूरभाष संख्या, मोबाइल संख्या \_\_\_\_\_

12-उपर्युक्त पते पर किस दिनांक से निवास कर रहे हैं, लिखिए :(तिथि/मास/वर्ष) \_\_\_\_\_

13-स्थायी पता गली संख्या/थाना-ग्राम और जिला (पिन कोड सहित) \_\_\_\_\_

14-यदि आपने स्तंभ (11) में दिए गये पते पर लगातार पाँच वर्ष तक निवास नहीं किया है तो कृपया अवधि सहित निवास का अन्य पता (पते) उल्लेख करें।

से \_\_\_\_\_ तक \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

15-विदेश में निवास के मामले में इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात आप जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक निवास किया हो \_\_\_\_\_

16-अन्य ब्यौरे :

- (क) शैक्षणिक अर्हताएं ;
- (ख) पूर्व में यदि किस पद पर रहे हों तो नियोक्ता का नाम और पता ;
- (ग) पिछले नियोजन छोड़ने का कारण ;
- (घ) शरीर पर विभेदक पहचान चिन्ह ;
- (ङ) पिछले तीन वर्ष की आयु कर विवरणी ;

| क्रमांक संख्या | निर्धारण वर्ष | आईटीआर की प्रति संलग्न है (हाँ/नहीं) |
|----------------|---------------|--------------------------------------|
| 1-             | _____         | _____                                |
| 2-             | _____         | _____                                |
| 3-             | _____         | _____                                |

(च) अधिनियम की धारा 6 के उपबंध सम्मिलित करते हुए शपथ-पत्र संलग्न है : हां/नहीं

17-क्या आपने किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को पहले परिचालित किया था या इसके भागीदार, बहुसंख्यक शेयर धारक या निदेशक थे ? यदि हां तो अभिकरण का नाम, पता और इसकी अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां दीजिए । \_\_\_\_\_

18-क्या आप जन्म/विरासत/रजिस्ट्रीकरण/देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक हैं। यदि आप के पास अन्य कोई नागरिकता थी तो कृपया पूर्व नागरिकता का उल्लेख करें \_\_\_\_\_

19-क्या आप भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध और कारावास से दंडादिष्ट किए गए हैं? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या, और दांडिक अपराध का विवरण दीजिए (निर्णय की प्रति संलग्न करें) \_\_\_\_\_

20-क्या भारत में आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कार्यवाही (कार्यवाहियों) लंबित है ? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और अपराध का विवरण दीजिए। \_\_\_\_\_

21-स्वघोषणा :-

इस प्रपत्र तथा संलग्नकों में दी गई सूचना सही है और मैं इसकी सत्यता के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तासीख \_\_\_\_\_

स्थान \_\_\_\_\_

संलग्नक :-

\_\_\_\_\_

(आवेदक के हस्ताक्षर)



## प्रपत्र-तीन

[नियम 3 (2)/नियम 5 (1) देखिए]

## शपथ-पत्र

मैं \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री/सुश्री \_\_\_\_\_  
 निवासी \_\_\_\_\_ मैसर्स \_\_\_\_\_ (फर्म/अभिकरण/कंपनी का नाम) स्थित \_\_\_\_\_ (फर्म/अभिकरण/कंपनी का पता) का स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक हूं।  
 मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि :-

- 1-यह कि अभिसाक्षी भारत का नागरिक है।
- 2-यह कि अभिसाक्षी ने 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली है।
- 3-यह कि स्वत्वधारी/भागीदारों/निदेशकों के ब्यौरे (कृपया सभी भागीदारों/निदेशकों के ब्यौरे उपदर्शित करें) जो निम्नानुसार है :

| क्रम-<br>संख्या | स्वत्वधारी/भागादारों/निदेशकों<br>के नाम | फर्म/अभिकरण/कंपनी का पदनाम<br>स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक | निवास का पता |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
|                 |                                         |                                                         |              |
|                 |                                         |                                                         |              |
|                 |                                         |                                                         |              |
|                 |                                         |                                                         |              |
|                 |                                         |                                                         |              |

4-यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक कंपनी के अभिवृद्धि, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए (फर्म/अभिकरण/कंपनी के संबंध में उसके द्वारा कृत कोई कपट का अपकरण) सिद्धदोष किया गया है जिसके अंतर्गत अनुमोचित दिवालिया भी है।

5-यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, जिसके लिए विहित दंड दो वर्ष से कम का कारावास नहीं है।

6-यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदारी/निदेशक -

(क) किसी संगठन या संगम से संबंध नहीं रखते हैं जिनको उनके क्रियाकलापों जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए संकट खड़ा करते हैं, के कारण किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित किया गया गया है ; या

(ख) ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

7-अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्युत या हटाया नहीं गया है।

8-फर्म/अभिकरण/कंपनी भारत में रजिस्ट्रीकृत है और उसके पास स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक नहीं है, जो भारत का नागरिक नहीं है।

9-अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के सभी भागीदार/निदेशक उसके यथा विहित प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके या उन्हें ऐसा प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करके प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2005) की धारा 9 की उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।

10-अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के सभी भागीदार/निदेशक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2005) की धारा 11 के अधीन यथा नियत निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे।

(एक) विहित प्रशिक्षण जिसे अनुज्ञापिधारी को करना है ;

(दो) अभिकरण बनाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के ब्यारे ;

(तीन) नियंत्रक प्राधिकारी को समय-समय पर अपने पते, प्रबंधन के किसी परिवर्तन के संबंध में सूचना देने की बाध्यता ;

(चार) नियंत्रक प्राधिकारी को समय-समय पर उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त, यथास्थिति प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के कर्तव्यों के पालन के अनुक्रम में उनके विरुद्ध किसी भी दांडिक आरोप के संबंध में सूचना देने की बाध्यता ;

(पाँच) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में सत्यापन करने और ऐसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण की जिसने अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्तों का पालन नहीं किया हो, अनुज्ञापि को जारी रखने का या अन्यथा के पुनर्विलोकन करने का उपबंध कर सकेगा।

11-यह कि अभिसाक्षी के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई मामला रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या कोई मामला न्यायालय में लंबित नहीं है।

या

यह कि अभिसाक्षी के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया है या कोई मामला न्यायालय में लंबित है। (ब्यारों को संलग्न करें)

12-अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के सभी भागीदार/निदेशक अनुज्ञापि की शर्तों का और प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2005) और इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित सुसंगत नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेंगे और \_\_\_\_\_ मैसर्स \_\_\_\_\_ नाम एवं शीर्षक वाले प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का प्रबंध करते हुए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का भी अनुपालन करेंगे।

अभिसाक्षी

सत्यापन :- मैं, \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ को एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि यह शपथ-पत्र उपर्युक्त अंतर्वस्तु मेरे वैयक्तिक ज्ञान के अनुसार सही है और विश्वास से कोई बात छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

टिप्पण :- (एक) बिंदु संख्या 4 से 8 अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन से संबंधित है।

(दो) बिंदु संख्या 9 अधिनियम की धारा 9 (2) के अनुपालन से संबंधित है।

(तीन) बिंदु संख्या 10 और 11 अधिनियम की धारा 11 के अनुपालन से संबंधित है।

(चार) बिंदुओं को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं।

प्रपत्र-चार  
[नियम 3(10) देखिए]

सरकार

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार करने की अनुज्ञप्ति

क्रम संख्या \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम \_\_\_\_\_

श्री \_\_\_\_\_ (आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ को \_\_\_\_\_ पते पर स्थित कार्यालय से \_\_\_\_\_ जिले/राज्य जो (जो लागू न हो उसे काट दें) में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार के प्रचालन के लिए \_\_\_\_\_ राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति-अनुदत्त की जाती है।

जारी करने का स्थान :

जारी करने की दिनांक :

यह अनुज्ञप्ति \_\_\_\_\_ तक वैध है।

हस्ताक्षर

अनुदत्त प्राधिकारी का नाम

पदनाम

कार्यालय का पता

## नवीकरण

[नियम 5(4) देखिए]

क्रम संख्या

नवीकरण का दिनांक

अवसान की तारीख

1-

2-

3-

4-

हस्ताक्षर

नवीकरण प्राधिकारी का नाम

पदनाम

कार्यालय का पता



**प्रपत्र-पौंच**  
[नियम 7(2) देखिए]

**सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्रारूप**

आवेदक के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

|                                   |                                        |        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------|
| केवल कार्यालय द्वारा उपयोग के लिए |                                        |        |
| प्रपत्र संख्या                    | चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन जारीकर्ता | दिनांक |

फीस धनराशि रु0 \_\_\_\_\_ नकद/मांगदेय ड्राफ्ट \_\_\_\_\_ बैंक का नाम \_\_\_\_\_  
मांगदेय ड्राफ्ट सं0 \_\_\_\_\_ जारी करने का दिनांक \_\_\_\_\_

(सावधान : कृपया सही सूचना प्रस्तुत करें। प्रपत्र में गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छिपाने से अभ्यर्थी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में नियोजन/काम पर लगाने के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा।)

1-आवेदक का नाम जैसा फोटो पहचान पत्र में प्रतीत हो (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)

अंतिम नाम \_\_\_\_\_ प्रथम नाम \_\_\_\_\_

2-यदि अपने नाम में कभी कोई परिवर्तन किया है तो पिछले पूरे नाम (नामों) का उल्लेख करें।

3-लिंग (पुरुष/महिला)

4-जन्म का दिनांक (दिन/माह/वर्ष) \_\_\_\_\_

5-आधार सं0 \_\_\_\_\_

6-जन्म का स्थान-ग्राम/नगर \_\_\_\_\_

जिला \_\_\_\_\_ राज्य और देश \_\_\_\_\_

7-पिता का पूरा नाम/विधिक संरक्षक का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर की अनुज्ञात नहीं है)

8-माता का नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)

9-यदि विवाहित है तो पति/पत्नी का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)

10-वर्तमान आवासीय पता, गली संख्या/पुलिस थाना, ग्राम और जिला सहित (पिन कोड संख्या भी दें)

दूरभाष नं0/मोबाइल नं0 \_\_\_\_\_

11-कृपया उपर्युक्त उल्लिखित पते पर किस दिनांक से निवास कर रहे हैं: दिन/माह/वर्ष \_\_\_\_\_

12-स्थायी पता गली नं0/पुलिस थाना, ग्राम और जिला सहित (पिन कोड सहित) \_\_\_\_\_

13-यदि आपने स्तंभ (10) में दिए गए पते पर लगातार पांच वर्ष तक निवास नहीं किया है तो कृपया अवधि सहित निवास का अन्य पता (पते) उल्लेख करिए।

से \_\_\_\_\_ तक \_\_\_\_\_

पता

14-विदेश में निवास के मामले में इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् आपने जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक निवास किया हो; उनका ब्यौरा दीजिए : \_\_\_\_\_

15-अन्य ब्यौरे :-

(क) शैक्षिक अर्हताएं

(ख) पूर्व में यदि किसी पद पर रहे हों तो नियोक्ता का नाम और पता \_\_\_\_\_

(ग) पिछले नियोजन छोड़ने के कारण \_\_\_\_\_

(घ) शरीर पर विभेदक पहचान चिन्ह- \_\_\_\_\_

(ङ) ऊँचाई (सेमी०) \_\_\_\_\_

(च) अधिनियम की धारा 10(1) और (2) के उपबंधों को सम्मिलित करते हुए शपथ-पत्र संलग्न हैं:  
हां/ नहीं

16-क्या आप केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/कानूनी निकाय में सेवारत है।  
हां/ नहीं

17-क्या आप जन्म/विरासत/रजिस्ट्रीकरण/देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक हैं? यदि आप के पास  
अन्य कोई नागरिकता थी, तो कृपया पूर्व की नागरिकता का उल्लेख करें \_\_\_\_\_

18-क्या आप भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध और कारावास से  
दंडादिष्ट किए गए हैं? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और दांडिक अपराध का विवरण दीजिए  
(निर्णय की प्रति संलग्न कीजिए) \_\_\_\_\_

19-क्या भारत में आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कार्यवाही लंबित है? यदि  
ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए \_\_\_\_\_

20-क्या किसी न्यायालय द्वारा कोर्ट वारंट या उपस्थिति के लिए समन या गिरफ्तारी के वारंट अथवा  
भारत से बाहर जाने की संज्ञात जारी की गई है? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का  
विवरण दीजिए \_\_\_\_\_

21-स्वतः घोषणा :-

इस प्रारूप और संलग्नकों में दी गई सूचना सही है और मैं इसकी सत्यता के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हूँ।

22-अंगुलियों के निशान :

दिनांक \_\_\_\_\_

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान \_\_\_\_\_

संलग्नक :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्रपत्र-छः  
[नियम 7(2) देखिए]  
शपथ-पत्र

मैं \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री/सुश्री \_\_\_\_\_  
निवासी \_\_\_\_\_ (आवासीय पता) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण  
मैसर्स \_\_\_\_\_ (फर्म/अभिकरण/कंपनी का नाम) स्थित  
\_\_\_\_\_ (फर्म/अभिकरण/कंपनी का पता) मैं प्राइवेट सुरक्षा  
गार्ड/पर्यवेक्षक के रूप में रोजगार के लिए स्वयं प्रस्थापना करता हूँ। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/घोषणा  
करता हूँ-

1-यह कि मैं भारत का नागरिक हूँ।

2-यह कि मैंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है लेकिन 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। मेरे जन्म का  
दिनांक \_\_\_\_\_ है।

3-यह कि मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

4-यह कि मुझे संघ के किसी सशस्त्र बल, राज्य पुलिस संगठन, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या  
किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में सेवा करते हुए अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर पदच्युत या हटाया नहीं  
गया है।

अभिसाक्षी

सत्यापन : मैं \_\_\_\_\_ (दिनांक) \_\_\_\_\_ को सत्यनिष्ठा  
से प्रतिज्ञान करता हूँ कि इस शपथ-पत्र में उपर दिए गए तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सच और सही हैं और इनमें कुछ  
भी छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

**टिप्पणी :-** प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 10(2) के  
उपबंध अभिसाक्षी की जागरूकता के लिए शपथ-पत्र के पृष्ठ भाग पर मुद्रित किए जा सकेंगे जो निम्न प्रकार है:  
"धारा 10 : प्राइवेट सुरक्षा गार्ड होने के लिए अर्हताएं।

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है या जिसे संघ के किसी सशस्त्र  
बल, किसी राज्य पुलिस संगठन, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में,  
सेवा करते समय अवचार या नैतिक अधमता के आधारों पर सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है,  
प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या लगाया नहीं जाएगा।"



## प्रपत्र-सात

[नियम 7(6) देखिए]

## चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाण-पत्र

(यह प्रमाण-पत्र प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 के नियम में सम्मिलित किए गए उपबंधों के अधीन जारी किया गया है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री \_\_\_\_\_

पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_

जिसका

ब्यौरे निम्नलिखित है, अच्छे नैतिक चरित्र और अच्छी ख्याति के हैं, और पिछले एक वर्ष से निम्न पते पर लगातार निवास कर रहा है।

जन्म तिथि :

जन्म स्थान :

शैक्षिक अर्हता :

व्यवसाय :

वर्तमान पता :

स्थायी पता :

यह प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्र के स्रोत) \_\_\_\_\_ के आधार पर जारी किया गया है और जारी करने की दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक वैध होगा।

जारीकर्ता प्राधिकारी

हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

पता/दूरभाष नं० :

जारी करने की दिनांक :

प्रपत्र-आठ

[नियम 8(5) देखिए]

प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र

क्रम संख्या

प्रशिक्षण अभिकरण का नाम

प्रशिक्षण अभिकरण का पता

प्रशिक्षण अभिकरण मान्यता संख्या \_\_\_\_\_

[इस अभिकरण की मान्यता दिनांक \_\_\_\_\_ तक वैध है]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री \_\_\_\_\_

पुत्र/पुत्री/श्री \_\_\_\_\_

निवासी \_\_\_\_\_ ने \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_

तक राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एन0एस0क्यू0एफ0) के मानक अनुसार प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति या काम पर रखे जाने के लिए विहित प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

उसके हस्ताक्षर नीचे साक्ष्यांकित हैं।

प्रमाण-पत्र धारी के हस्ताक्षर

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

जारी करने का स्थान :

जारी करने की दिनांक :

प्रपत्र-नौ

(नियम 11 देखिए)

अपील के लिए प्ररूप

अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपील

अपीलकर्ता \_\_\_\_\_

पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_

बनाम

नियंत्रक प्राधिकारी \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ (नियंत्रक प्राधिकारी के) के आदेश, और \_\_\_\_\_ (प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम) के प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति अस्वीकार किए जाने के आदेश के विरुद्ध, उपर्युक्त अपीलकर्ता \_\_\_\_\_ (राज्य के गृह सचिव) को अपील करते हैं, और आदेश के विरुद्ध आपत्ति के निम्न आधार दिए गए हैं।

- 1- \_\_\_\_\_
- 2- \_\_\_\_\_
- 3- \_\_\_\_\_
- 4- \_\_\_\_\_

संलग्नक दस्तावेजों की सूची :

\_\_\_\_\_

हस्ताक्षर

अपीलकर्ता का नाम एवं पदनाम

दिनांक :

स्थान :



## प्रपत्र-दस

(नियम 12 देखिए)

## विशिष्टियां-रजिस्टर

## (रजिस्टर-क : प्रबंधन विवरण)

| क्रम-संख्या | अभिकरण का प्रबंध देखने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों के नाम | माता-पिता / पिता का नाम | वर्तमान पता और दूरभाष संख्या | स्थायी पता | राष्ट्रीयता | अभिकरण में नियुक्ति / छोड़ने का दिनांक |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------|
|             |                                                         |                         |                              |            |             |                                        |

## (रजिस्टर-ख : प्राइवेट सुरक्षा गार्ड तथा पर्यवेक्षक)

| क्रम-संख्या | गार्ड / पर्यवेक्षक का नाम | पिता का नाम | वर्तमान पता और दूरभाष संख्या | अभिकरण में नियुक्ति / छोड़ने का दिनांक | स्थायी पता | फोटोग्राफ | अंगुलियों के निशान | कर्मचारी संख्या | दिनांक सहित वेतन, ईएसआई, ईपीएफ संख्याएं और बैंक / शाखा जिसके माध्यम से संदत्त है। |
|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1           |                           |             |                              |                                        |            |           |                    |                 |                                                                                   |
| 2           |                           |             |                              |                                        |            |           |                    |                 |                                                                                   |

## (रजिस्टर-ग : ग्राहक)

| क्रम-संख्या | ग्राहक का नाम और फोन नंबर | स्थान का नाम जहाँ सुरक्षा प्रदान की जाती है | उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्ड की संख्या और रैंक | सेवा प्रारंभ करने का दिनांक | सेवा समाप्त का दिनांक |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|             |                           |                                             |                                                |                             |                       |

## (रजिस्टर-घ : ड्यूटी रोस्टर)

| क्रम-संख्या | प्राइवेट सुरक्षा गार्ड / पर्यवेक्षक का नाम | ड्यूटी स्थान का पता | क्या कोई शस्त्र / गोला-बारूद उपलब्ध कराए गए हैं | ड्यूटी प्रारंभ करने का दिनांक और समय | ड्यूटी समाप्त करने का दिनांक और समय |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|             |                                            |                     |                                                 |                                      |                                     |

प्रपत्र-ग्यारह

(नियम 13 देखिए)

प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक के लिए फोटो पहचान-पत्र

(प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम)

पहचान-पत्र सं० \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

रंगीन फोटो

कार्यालय पदनाम \_\_\_\_\_

कर्मचारी सं० \_\_\_\_\_

रक्त समूह \_\_\_\_\_

जारी करने का दिनांक \_\_\_\_\_

तक वैध है।

पहचान-पत्र धारक के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय की मोहर

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1822/VI-Pu-2-2023-1100(60)-2021, dated November 2, 2023 :

No. 1822/VI-Pu-2-2023-1100(60)-2021

*Dated Lucknow, November 2, 2023*

IN exercise of the powers conferred by section 25 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Act no. 29 of 2005) and in supersession of the Uttar Pradesh Private Security Agencies Rules, 2009 (Notification no. 1462/Six-po-2-08-700(131)-07, Dated July 31, 2009), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor is pleased to make the following rules, with a view to regulate the operation of private security agencies and ensure the procedure of licences and trainings thereto.

### THE UTTAR PRADESH PRIVATE SECURITY AGENCIES RULES, 2023

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Private Security Agencies Rules, 2023. Short title and commencement

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires, - Definitions

(a) "Act" means the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005);

(b) "Agency" means the Private Security Agency;

(c) "Controlling Authority" shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of section 2 of the Act;

(d) "Form" means a Form appended to these rules;

(e) "Licence" means a licence granted under the Act;

(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. (1) Every agency while making an application in Form I to the Controlling Authority for the grant of licence shall also enclose the Form II for verification of his antecedents. Application for grant of licence

(2) If the applicant is a company, a firm or an association of persons, the application in Form I shall be accompanied by Form II for every proprietor or majority shareholder, partner or director of the company, as if they were also the applicants. In addition, he shall submit an Affidavit in Form III incorporating the details in relation to the provisions contained in sub-section (2) of section 7 of the Act.

(3) On receipt of Form I, Form II, Form III, the Controlling Authority shall make such inquiries, as it considers necessary to verify the contents of the application and the particulars of the applicant.

(4) The Controlling Authority shall utilise electronic databases of crime and criminals like the Crime and Criminal Tracking Networks and Systems (CCTNS), Interoperable Criminal Justice System (ICJS) for the purpose of verification of antecedents of the applicant. However, in special circumstances where electronic databases of crimes and criminals such as Crime and Criminal Tracking Networks and System (CCTNS), Interoperable Criminal Justice Systems (ICJS) are not functioning, the Controlling Authority may constitute such inquiry as he may consider necessary to verify the particulars of the applicant and contents of Form-III.



(5) Wherever any applicant's antecedents have been verified in any other State earlier and licence is granted, it shall not be necessary for the Controlling Authority to verify the antecedents afresh provided that the licence for which antecedents are verified is under period of validity. The Controlling Authority may call for verification forms *etc.* from the other State concerned to check the antecedents of the applicant from the district of domicile within the State electronic database of crime and criminal. For this purpose, Crime and Criminal Tracking Network and System (CCTNS) and Interoperable Criminal Justice System (ICJS) may be used.

(6) Form I shall be accompanied by a demand draft or banker's cheque or electronic evidence showing the payment of fees as prescribed under sub-section (3) of section 7 of the Act, payable to the Controlling Authority of the State concerned where the application is being made.

(7) The application referred to in sub-rule (1) shall be either personally delivered to the Controlling Authority or sent to it by registered post or through electronic means i.e. e-mail, Fax *etc.*

(8) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the Controlling Authority shall after noting there on the date of receipt by him of the application, grant an electronic or digital acknowledgement to the applicant.

(9) The Controlling Authority, after receiving an application in Form I shall grant a licensee to the private security agency in Form IV after making such enquiry as it considers necessary, and after compliance with the provisions of the Act:

Provided that if the private security agency has already obtained a licensee from the Controlling Authority of any other State then requirement of training of the licensee shall not be necessary.

(10) The Controlling Authority either by himself or through any other officer subordinate to him or by other means shall verify the premises of the private security agency at the address or addresses provided by the agency.

(11) The Controlling Authority shall prepare a physical copy of the licence to be delivered by post within fifteen days of issue to the principal office of the private security agency in the State concerned as mentioned in the application for grant of licence which the private security agency shall be bound to display at its place of business.

(12) In case of rejection of the application for grant of licence, no order of refusal shall be made unless,-

(a) the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard; and

(b) the grounds on which licence is refused are mentioned in the order.

(13) The Controlling Authority shall pass an order on Form I within sixty days from the date of receipt of it aforesaid cyclickation after completely all the formalities.

4. (1) The licensee shall successfully undergo a training relating to the private security as prescribed by the Controlling Authority within the time frame prescribed by it.

(2) The Controlling Authority shall frame the detailed training syllabus required for training of the licensee.

Conditions for  
grant of licence

(3) The training shall be for a minimum period of six working days. The training shall broadly include the following subjects, namely:-

(a) Present security scenario:

- (i) VIP Security;
- (ii) Internal Security;
- (iii) Institutional Security.

(b) Role and Functioning of Private Security Agencies:

- (i) Fire Fighting;
- (ii) Disaster/ Emergency Management protocol;
- (iii) Security Duties;
- (iv) Checking of various documents;
- (v) Information security;
- (vi) Access Control;
- (vii) Explosives, IEDs;
- (viii) Anti Sabotage Checks (ASC);
- (ix) Security related equipments;
- (x) Communication Equipments;
- (xi) Patrolling;
- (xii) Post duties.

(c) Legal provisions:

- (i) The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005) and its associated State Rules;
- (ii) Relevant Labour Laws.

(d) Management of Security Agencies:

- (i) Uniform;
- (ii) Training of personnel of private security agencies;
- (iii) Documentation and records to be maintained by the licencee;
- (iv) Data Sharing Protocol.

(e) Interface with public, Police and other departments:

- (i) Interface with Public;
- (ii) Liaison with police and other concerned Government Departments.

(f) Private Security Personnel – DO's and DON'Ts (Conduct Rules).

(4) The licensee shall intimate the name, parentage, date of birth, permanent address, address for correspondence and the principal profession of each person forming the Agency within fifteen days of receipt of the licence to the Controlling Authority.

(5) The licensee shall inform the Controlling Authority regarding any change in the address of persons forming the Agency or change of management within thirty days of such change.

(6) The licensee shall immediately intimate the Controlling Authority about any FIR registered or criminal charge framed against the persons forming the Agency or against a private security guard or supervisor engaged or employed by the Agency, in the course of performance of duties as private security agency. A copy of such communication shall also be sent to the officer in charge of the police station where the person charged against resides.



(7) Every licensee shall abide by the requirements of physical standards for the private security guards and their training as prescribed in these rules as the condition on which the licence is granted.

(8) Save as provided in these rules, the fees paid for the grant of licence shall be non-refundable.

(9) The licensee shall commence its activities within six months of obtaining the licence.

(10) Commencement of activities shall include establishment of office premises and engagement of supervisors as provided under sub-section (3) of section 9 of the Act and in accordance with rule 10.

Renewal of  
licence

5. (1) Every Agency shall apply to the Controlling Authority for renewal of the licence in Form I along with Form II and Form III not less than forty-five days before the date of expiry of the period of validity thereof and after complying other conditions of section 8 of the Act.

(2) If the applicant is a company, a firm or an association of persons, the application in Form I shall be accompanied by Form II for every proprietor or majority shareholder, partner or director of the company, as if they were also the applicants.

(3) The Controlling Authority shall verify the antecedents of the applicant in the same manner as mentioned in sub-rule (4) of rule 3.

(4) The Controlling Authority, after receiving an application in Form I shall grant a renewal of licence in Form IV after making such enquiry as it considers necessary and after compliance with the provisions of the Act.

(5) In case of non-receipt of the application for renewal of licence within the period mentioned in sub-rule (1), the agency shall be treated as un-licensed agency after the expiry of licence.

(6) After expiry of period of applying for renewal of licence, the Agency may apply for fresh licence as per section 7 of the Act.

(7) The fees chargeable for renewal of the licence shall be the same as for the grant of licence as mentioned in sub-rule (6) of rule 3.

(8) Applications received after the period stipulated in sub-rule (1) and before the expiry of licence shall not be processed for renewal of licence.

(9) The Controlling Authority shall pass an order on application for renewal of licence in Form I within thirty days from the date of receipt of application complete in all respects.

(10) The validity of renewed licence shall be counted from the date of expiry of the previous licence and shall be upto a period of five years irrespective of its date of renewal. In case the application is decided by the Controlling Authority after expiry of the existing licence, the intervening period shall deem to be under valid licence.

(11) The Controlling Authority and the Private Security Agencies shall not be liable for delays occurring by reason of circumstances beyond human control, including but not limited to acts of civil or military authority, national emergencies, riot, acts of God.

Conditions for  
renewal of  
licence

6. The renewal of the licence shall be granted subject to the following conditions, namely:-

(a) the applicant continues to maintain his principal place of business in the jurisdiction of the Controlling Authority;

(b) the applicant continues to ensure the availability of the training for its private security guards and supervisors required under sub-rule (2) of rule 8 of these rules;

(c) the applicant continues to adhere to the licence conditions;

(d) the applicant has no criminal antecedents (the same may be verified from a database of crime and criminals).



7. (1) Before any person is employed or engaged as a security guard or supervisor, the Agency shall satisfy itself about the character and antecedents of such person in any one or more of the following manner, namely:-

Verification of character and antecedents of the private security guard and supervisor

(a) by relying upon the character and antecedents verification certificate produced by the person:

Provided that the character and antecedent certificate shall be valid and the Agency does not have any adverse report regarding the person's character and antecedents from any other source;

(b) by accessing electronic databases of crime and criminal like the Crime and Criminal Tracking Networks and Systems (CCTNS), Interoperable Criminal Justice System (ICJS) for verification of the character and antecedents through the Controlling Authority or the Police.

(2) The person desirous of getting employed or engaged as security guard or supervisor shall submit Form V to the Agency. In addition, he shall submit an Affidavit in Form VI incorporating the details in relation to the provisions contained in sub-section (2) of section 10 of the Act.

(3) The State Government shall arrange to accept the fee to be deposited electronically for character and antecedent verification.

(4) The authority to which the application is made shall ensure that character and antecedent verification report is issued within fifteen days of the receipt of the character and antecedent form.

(5) Character and antecedents' verification report once issued shall remain valid for five years irrespective of the change in employer status.

(6) On the basis of character and antecedents' verification, the Agency shall issue in Form VII a character and antecedents certificate and this certificate shall not be taken back by such Agency even if the person ceases to be the employee of that Agency.

8. (1) The Controlling Authority shall frame the detailed training syllabus required for training the security guards in accordance with National Skill Qualification Frame work. For entry level, this training shall be for a minimum period of hundred hours of classroom instruction and sixty hours of field training, spread over at least twenty working days. The ex-servicemen and former police personnel shall however be required to attend a condensed course only of minimum forty hours of classroom instructions and sixteen hours of field training spread over at least seven working days.

Security Training

(2) For the purpose of providing training as per Syllabus, the Controlling Authority may issue guidelines and specifications for those training institutions and may also issue a Standard Operating Procedure (SOP) for their compliance.

(3) To ensure compliance with the guidelines/specifications and standard operating procedure, the Controlling Authority may, whenever it is desires, order security audit of such training institute by an officer of the rank of Deputy Superintendent of Police and above.

(4) The training institution or organization shall submit to the Controlling Authority the following particulars-

- (a) the name and address of the institution;
- (b) details of Trainee Guard;
- (c) duration of training;
- (d) courses covered and marks obtained by the trainee;

- (e) the name and designation of the person authorized to issue the certificate after completion of training;
- (f) list of Trainers available in the Training Institute;
- (5) The training shall include the following subjects, namely:-
- (a) conduct in Public and correct wearing of uniform;
  - (b) physical fitness training;
  - (c) physical security, security of the assets, security of the building/apartment, personnel security, household security;
  - (d) fire fighting;
  - (e) crowd control;
  - (f) examining identification papers including identity cards, passports and smart cards;
  - (g) should be able to read and understand English alphabets and Arabic numerals as normally encountered in the identification documents, arms licence, travel documents and security inspection sheet;
  - (h) identification of improvised explosive devices;
  - (i) first-Aid;
  - (j) crisis response and disasters management;
  - (k) defensive driving (compulsory for the driver of Armoured vehicle and optional for others);
  - (l) handling and operation of non-prohibited weapons and firearms (optional);
  - (m) rudimentary knowledge of Indian Penal Code, right to private defense, procedure for lodging first information report in the police station, Arms Act (only operative sections), Explosives Act (operative sections);
  - (n) badges of rank in police and military forces;
  - (o) identification of different types of arms in use in Public and Police;
  - (p) use of security equipments and devices (for example: security alarms and screening equipments); and
  - (q) leadership and management (for supervisors only).
- (6) The security guard shall have to successfully undergo the training prescribed by the Controlling Authority.
- (7) On completion of the training each successful trainee shall be awarded a certificate in Form VIII by the training institute.
- (8) The training certificates issued to the guards/supervisors from Training Institutes in one State shall be accepted in other State also.
- (9) The Controlling Authority shall inspect the functioning of training facility from time to time either by itself or through its own officers. Normally such inspection shall be conducted at least two times every year.
- (10) All the training agencies shall submit a list of successful trainees to the Controlling Authority in the manner prescribed by it.
- (11) Based on training completed and requirement of the job, private security agency may have their own designations provided that no agency shall adopt any of the ranks of the armed forces, paramilitary forces or State Police Forces.
- (12) The Controlling Authority either by itself or through its officers may verify the training and skills imparted to the private security guards and supervisors of any private training agency.
- (13) The Controlling Authority may review the continuation or otherwise of licence of such security agencies which may not have adhered to the conditions of trained personnel on its rolls.



### Standard of physical fitness for security guards

- ### Provision for Supervisors

- ## Appeals and procedure

**Register to be  
maintained by  
the Agency**

Photo identity  
card

(4) The photo identity card shall be maintained up to date and any change in the particulars shall be entered therein.



(5) The photo identity card issued to the private security guard shall be returned to the Agency issuing it, once the private security guard is no longer engaged or employed by it.

(6) Any loss or theft of photo identity card shall be immediately brought to the notice of the Agency that issued it.

Other conditions

14. (1) Notwithstanding whether the Agency mandates its private security guards to put on uniform while on duty or not, every private security agency shall issue and make it obligatory for its security guards to put on:

- (a) an arm badge distinguishing the Agency;
- (b) shoulder or chest badge to indicate his position in the organization;
- (c) whistle attached to the whistle cord and to be kept in the left pocket;
- (d) shoes with eyelet and laces;
- (e) a headgear which may also carry the distinguishing mark of the Agency.

(2) The clothes worn by the private security guard while on active duty shall be such that they do not hamper in his efficient performance. In particular they shall neither be too tight nor too loose as to obstruct movement or bending of limbs.

(3) Every private security guard shall carry a notebook and a writing instrument with him.

(4) Every private security guard while on active security duty shall wear and display photo identity card issued under section 17 of the Act, on the outer most garment above waist level on his person in conspicuous manner.

By order,  
SANJAY PRASAD,  
Pramukh Sachiv.

**FORM-I**  
(See rule 3, 5)

**APPLICATION FOR GRANT OF LICENCE /RENEWAL OF LICENCE TO  
ENGAGE IN THE BUSINESS OF PRIVATE SECURITY AGENCY**

To

The Controlling Authority

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

The undersigned hereby applies for obtaining a licence to run the business of operating services in the area of Private Security Agencies:-

1. Full name of the applicant:
2. Nationality of the applicant:
3. Son/wife/daughter of:
4. Residential Address:
5. Address, where the applicant desires to start his Agency:
6. Name of the Private Security Agency:
7. Additional details of the Private Security Agency (if applicable):-

- (a) CIN No. ....
- (b) ESI No. ....
- (c) EPF No. ....
- (d) Labour Licence No. ....
- (e) Labour Registration No. ....
- (f) GST No. ....
- (g) Any other information .....
- (h) Whether the Agency has FDI? (Yes/No) .....

If Yes, Give the following information-

- (i) Country of FDI : .....
- (ii) Name of foreign shareholder: .....
- (iii) Address of foreign shareholder : .....
- (iv) Year of investment: .....
- (v) No. of shares: .....
- (vi) Percentage of foreign shareholding: .....
- (vii) Approval details of FDI: .....

(Please attach the relevant document of FDI approval.)

8. Name and addresses of Proprietor, partner, Majority shareholder, Director and Chairman of the Agency:

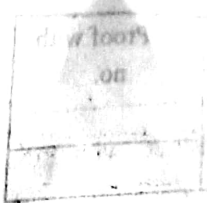
| Sl. No. | Management Type<br>(Proprietor/partner/Majority shareholder/Director/Chairman) | Name | Address | DIN No.<br>(if held) | ID Proof with no. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------|-------------------|
|         |                                                                                |      |         |                      |                   |

9. Name and extent of facilities available:
10. (a) Does the applicant possesses the training facility in its own or will get it on outsourcing basis? .....
- (b) If the applicant has own training facility, please provide the following information:
- Name of training agency:
- Address of Training agency:
- Recognition details of Training agency: .....
11. Equipments which will be used for Security services-
- (a) Door Framed Metal Detector (DFMD)
- (b) Hand Held Metal Detector (HHMD)
- (c) Mine Detector
- (d) Other Equipments:
- (i) Wireless Telephones
- (ii) Alarm Devices
- (iii) Armoured Vehicles
- (iv) Arms
12. The particulars of the uniform including color. (Please attach color photo of uniforms).
13. Does the applicant intends to operate in more than one districts ? If so the name of the Districts 1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_ 5. \_\_\_\_\_
14. Does the applicant intend to operate in the entire state ? Yes/No

Signature  
Name of the applicant  
Address of the application  
Telephone number of the applicant  
Date of application

**Enclosure:-**

1. Photo of the premises of the Agency.
2. ID Proof of all Management personnel.
3. Recognition details of training agency (if applicable).
4. Colour photo of uniforms.
5. Documents (if applicable) under the agency details given in Para 7 above.
6. Copy of current Income tax Clearance Certificate.
7. Affidavit as prescribed in Section 7 sub-section (2) of the Act.
8. Other enclosures.





## FORM-II

(See rule 3 and 5)

## Form for verification of Antecedents of Applicant

NOTE :- If the applicant is a company, a firm or an association of persons, this form shall be filled up by every proprietor or majority shareholder, partner or director of the company, as if they are also the applicants.

Signature of the Applicant -----

|                       |                                      |      |
|-----------------------|--------------------------------------|------|
| For official use only |                                      |      |
| Form number           | Antecedents verification issued by : | Date |
|                       |                                      |      |

Fee Amount Rs. ----- Cash /D.D. ----- Name of Bank ----- D.D. No. -----  
Date of Issue -----

Please fill in BLOCK LETTERS : (CAUTION : Please furnish correct information. Furnishing of incorrect information or suppression of any factual information in the form will render the candidate unsuitable for grant of licence)

1. Name of applicant (Initials not allowed)

Last name ----- First name -----

2. If you have ever changed your name, please indicate the previous name(s) in full -----

3. Sex (male / female): -----

4. Date of Birth (DD/MM/YYYY): -----

5. Aadhaar No. -----

6. PAN No. -----

7. Place of Birth: Village / Town -----

District ----- State and Country -----

8. Father's Full Name/ Legal Guardian's Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed) -----

9. Mother's Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed) -----

10. If married, Full Name of Spouse (including surname, if any): (Initials not allowed) -----

11. Present Residential Address, including Street No./Police Station, village and District (with PIN code) -----

Telephone No./Mobile No. -----

12. Please give the date since residing at the above-mentioned address:

(DD/MM/YYYY) -----

13. Permanent Address including Street No./Police Station, village and District (with PIN code) -----

## FORM-III

[See rule 3(2)/rule 5(1)]

## Affidavit

I ..... S/o/D/o/W/oMr/Ms. .... resident of  
 ..... is a Proprietor/Partner/Director of M/s .....  
 (Name of firm/agency/company) at ..... (Address of firm/agency/company).

I do hereby solemnly affirm and declare as under :

1. That the deponent is a citizen of India.
2. That the deponent has attained the age of 18 years.
3. That the details of the Proprietor/ Partners/ Directors (Please indicate the details of all the Partners/ Directors) are as under:

| Sl. No. | Name of the Proprietor/<br>Partners/ Directors | Designations in the<br>firm/agency/company (Proprietor/<br>Partner/ Director) | Residential Address |
|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|         |                                                |                                                                               |                     |
|         |                                                |                                                                               |                     |
|         |                                                |                                                                               |                     |
|         |                                                |                                                                               |                     |

4. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been convicted of any offence in connection with promotion, formation or management of a company (any fraud or misfeasance committed by him in relation to the firm/agency/company), including an undischarged insolvent.

5. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been convicted by a competent court for an offence, the prescribed punishment for which is imprisonment of not less than two years.

6. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been -

- (a) keeping links with any organisation or association which is banned under any law on account of their activities which pose threat to national security or public order; or
- (b) indulging in activities which are prejudicial to national security or public order.

7. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been dismissed or removed from Government service on grounds of misconduct or moral turpitude.

8. That the firm/agency/company is registered in India and does not have a proprietor or a majority shareholder, partner or director, who is not a citizen of India.

9. That the deponent and all the Partner/ Director of the firm/agency/company shall comply with the provisions of sub-section (2) of section 9 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005) by ensuring availability/imparting of such training and skills to its private security guards and supervisors as prescribed.

10. That the deponent and all the Partner/ Director of the firm/agency/company shall fulfill the following conditions of licence as stipulated under section 11 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005).

- (i) prescribed training which the licensee is to undergo;
- (ii) details of the person or persons forming the agency;
- (iii) obligation as to the information to be provided from time to time to the Controlling Authority regarding any change in their address, change of management;

(iv) obligation as to the information to be provided from time to time to the Controlling Authority about any criminal charge made against them in the course of their performance of duties of the private security agency or as the case may be, a private security guard employed or engaged by them.

(v) Competent authority in the State Government/UT administration may verify about imparting of required training by the private security agency under sub-section (2) of section 9 of the Act and may review continuation or otherwise of licence of the private security agency if the agency have not adhered to the condition of ensuring the required training.

11. That there are no cases registered with police or pending in court of law against the deponent.

Or

That there are cases registered with police or pending in court of law against the deponent  
(Details shall be enclosed)

12. That the deponent and all the Partner/ Director of the firm/agency/company will comply conditions of licence and in letter and spirit, with the provisions of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005) and the relevant rules notified by the State Government/UT administration under the Act and also comply with the instructions issued from time to time by the Controlling Authority appointed under the Act, while managing private security agency with the name and title M/s .....

Deponent

**Verification :-** I, ..... hereby solemnly affirm on ..... (date) that the contents of above this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief nothing has been concealed therein.

Deponent

**NOTE :** (i) Point No. 4 to 8 relates to compliance of section 6 of the Act.  
(ii) Point No. 9 relates to compliance of section 9(2) of the Act.  
(iii) Point No. 10 and 11 relates to compliance of section 11 of the Act.  
(iv) Strike the points which are not applicable.



## FORM-IV

[See rule 3(10)]

## GOVERNMENT OF

## Licence to engage in the business of Private Security Agency

Serial No-----

Date-----

Name of the Private Security Agency: .....

Shri ----- (name of the Applicant)

S/o ----- r/o -----

----- (Full Address) -----

----- is granted the licence by the Controlling Officer for the State of -----

----- to run the business of Private Security Agency in the district(s) of/

State of (strike of the inapplicable words) -----

----- with office at ----- (address of the office).

Place of Issue -----

Date of issue -----

This license is valid up to -----

Signature

Name of granting authority

Designation

Official Address

## RENEWAL

[See rule 5(4)]

Sl. No.

Date of Renewal

Date of expiry

1.

2.

3.

4.

Signature

Name of renewing authority

Designation

Official Address

## FORM-V

[See rule 7(2)]

Form for verification of Character and antecedents of  
Security Guard and Supervisor

Signature of the Applicant -----

| For official use only |                                                    |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------|
| Form number           | Character and antecedents verification issued by : | Date |
|                       |                                                    |      |

Fee Amount Rs. ----- Cash /D.D. ----- Name of Bank ----- D.D. No. -----  
Date of Issue -----

Please fill in BLOCK LETTERS: (CAUTION: Please furnish correct information. Furnishing of incorrect information or suppression of any factual information in the form will render the candidate unsuitable for employment /engagement in the Private Security Agency.)

1. Name of applicant as should appear in the photo-identity card (Initials not allowed)

Last name ----- First name -----

2. If you have ever changed your name, please indicate the previous name(s) in full -----

3. Sex (male/female) -----

4. Date of Birth (DD/MM/YYYY) -----

5. Aadhaar No. -----

6. Place of Birth: Village/Town -----

District ----- State and Country -----

7. Father's Full Name/ Legal Guardian's Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed) -----

8. Mother's Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed) -----

9. If married, Full Name of Spouse (including surname, if any): (Initials not allowed) -----

10. Present Residential Address, including Street No. /police station, village and District (with PIN code) -----

Telephone No./Mobile No. -----

11. Please give the date since residing at the above mentioned address: DD/MM/YYYY -----

12. Permanent Address including Street No./police station, village and District (with PIN code) -----

13. If you have not resided at the address given at COLUMN (10) continuously for the last five years, please furnish the other address (addresses) with duration(s) resided.

From ..... To.....

-----  
-----

Address

14. In case of stay abroad particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of twenty-one years. \_\_\_\_\_

15. Other Details:

(a) Educational Qualifications: \_\_\_\_\_

(b) Previous posts held along with name and address of employer: \_\_\_\_\_

(c) Reason for leaving last employment: \_\_\_\_\_

(d) Visible Distinguishing Mark on body: \_\_\_\_\_

(e) Height (cms): \_\_\_\_\_

(f) Affidavit incorporating the provisions of Section 10 (1) and (2) of the Act enclosed:

Yes/ No

16. Are you working in Central Government/ State Govt/ PSU/ Statutory Bodies: Yes/ No

17. Are you a citizen of India by: Birth/Descent/Registration/Naturalisation: If you have ever possessed any other citizenship, please indicate previous citizenship \_\_\_\_\_

18. Have you at any time been convicted by a court in India for any criminal offence & sentenced to imprisonment ? If so, give name of the court, case number and offence. (Attach copy of judgement) \_\_\_\_\_

19. Is/Are any criminal proceeding(s) pending against you before a court in India ? If so, give name of court, case number and offence \_\_\_\_\_

20. Has any court issued a warrant or summons for appearance or warrant for arrest or an order prohibiting your departure from India ? If so, give name of court, case number and offence \_\_\_\_\_

21. Self Declaration:

The information given by me in this form and enclosures is true and I am solely responsible for accuracy.

22. Finger Prints :

(Signature of applicant)

Date \_\_\_\_\_

Place \_\_\_\_\_

Enclosures :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Signature of applicant)



## FORM-VI

[See rule 7(2)]

## Affidavit

I ..... S/o/D/o/W/oMr./Ms. .... resident  
of ..... (Residential Address) offer myself for employment as a  
private security guard/supervisor in the private security agency M/s .....  
(Name of firm/agency/company) at ..... (Address of firm/agency/company).

I do hereby solemnly affirm and declare as under :

1. That I am a citizen of India.
2. That I have attained the age of 18 years but have not attained the age of 65 years. My date of birth is .....
3. That I have not been convicted by a competent court.
4. That I have not been dismissed or removed on grounds of misconduct or moral turpitude while serving in any of the armed forces of the Union, State Police Organisations, Central or State Governments or in any private security agency.

Deponent

**Verification :-** I, ..... hereby solemnly affirm on ..... (date)  
that the contents of above this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief  
nothing has been concealed therein.

Deponent

**Note:** The provisions of section 10(2) of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005  
(29 of 2005) may be printed at the back of affidavit for awareness of deponent as follows:

**"Section 10. Eligibility to be a private security guard.**

(2) No person who has been convicted by a competent court or who has been dismissed or removed on grounds of misconduct or moral turpitude while serving in any of the armed forces of the Union, State Police Organisations, Central or State Governments or in any private security agency shall be employed or engaged as a private security guard or a supervisor."

FORM-VII

[See rule 7(6)]

CHARACTER AND ANTECEDENT CERTIFICATE

(This certificate is issued under the provisions incorporated in the rules of the  
Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005.)

This is to certify that Mr./Ms. \_\_\_\_\_, Son/Daughter of \_\_\_\_\_  
whose particulars are given below has good moral character and reputation and that the applicant has been  
staying at the following address(es) continuously for the last one year \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Date of Birth :

Place of Birth :

Educational Qualification :

Profession :

Present Address :

Permanent Address :

This certificate is issued on the basis of \_\_\_\_\_ (Source of  
certificate) and shall be valid upto a period of five years from its date of issue.

Issuing Authority

Signature

Name

Designation

Address/Tel. No.

Date of Issue

## FORM-VIII

[See rule 8(5)]

## Training Certificate

Serial number

Name of the Training Agency

Address of the Training agency

Training Agency Recognition No. \_\_\_\_\_

[The recognition of this agency is valid upto \_\_\_\_\_ (date)]

Certified that \_\_\_\_\_ son/daughter of \_\_\_\_\_  
resident of \_\_\_\_\_ has completed the prescribed training for the engagement or  
employment as a Private Security Guard/Supervisor confirming to National Skill Qualification Framework  
(NSQF) standards from \_\_\_\_\_ till \_\_\_\_\_.

His signature is attested below.

Signature of the Certificate Holder

Signature of issuing authority

Designation

Place of issue

Date of issue



FORM-IX

(See rule 11)

Form for Appeal

An Appeal under section 14 of the Act

Appellant \_\_\_\_\_

S/o \_\_\_\_\_ r/o \_\_\_\_\_

*Versus*

Controlling authority/ \_\_\_\_\_

The \_\_\_\_\_ above named appeal to the \_\_\_\_\_  
(State Home Secretary) \_\_\_\_\_ from the order of (Controlling Authority)

dated \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ and against refusal of licence to run Private  
Security Agency \_\_\_\_\_ and sets forth the following grounds of  
objection to the order appeal from namely \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Enclosed list of documents

\_\_\_\_\_

Signature

Name and Designation of the Appellant

Date \_\_\_\_\_

Place \_\_\_\_\_

## FORM-X

(See rule 12)

## Register of Particulars

## (Register-A: Management details)

| Sl. No. | Name of person(s) managing the Agency | Parent's/ Father's name | Present address & phone no. | Permanent Address | Nationality | Date of joining/leaving the agency |
|---------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|
| 1       |                                       |                         |                             |                   |             |                                    |

## (Register-B: Private Security Guards and Supervisor)

| Sl. No. | Name of Guard/ Supervisor | Father's name | Present address and phone no. | Date of Joining/ leaving the Agency | Permanent Address | Photo-graph | Finger Prints | Employee No. | Salary with date, ESI, EPF numbers and Bank/Branch through which paid |
|---------|---------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1       |                           |               |                               |                                     |                   |             |               |              |                                                                       |
| 2       |                           |               |                               |                                     |                   |             |               |              |                                                                       |

## (Register-C: Customers)

| Sl. No. | Name of the Customer and phone no. | Address of the place where Security is provided | Number and ranks of Security Guards provided | Date of commencement of services | Date of discontinuation of services |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|         |                                    |                                                 |                                              |                                  |                                     |

## (Register D: Duty Roster)

| S.No. | Name of the Private Security Guard/ Supervisor | Address of the place of duty | Whether provided with any arms/ammunition | Date and time of commencement of duty | Date and time of ending of duty |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|       |                                                |                              |                                           |                                       |                                 |

FORM-XI

(See rule 13)

**PhotoIdentity card for Private Security Guard/Supervisor**

(Name of the Private Security Agency)

Colour Photo

Identity Card no. \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Official Designation \_\_\_\_\_

Employee no. \_\_\_\_\_

Blood Group \_\_\_\_\_

Date of issue \_\_\_\_\_

Valid up to \_\_\_\_\_

Signature of the cardholder \_\_\_\_\_

Signature of the  
issuing authority  
Official seal